नगर पंचायत शाहपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/11/20 से 31/03/2023

भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 /81-फिन (एल०ए० खण्ड –(ख) दिनांक 10.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत शाहपुर के लेखों, अवधि 01/ 11/20 से 31/03/2023 का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अवधि 01/11/2020 से 31/3/2023 के दौरान नगर पंचायत शाहपुर में प्रधान व सचिव के पद पर निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहे:-

(i) प्रधान :-

क्र०स०	नाम	अवधि
1.	**श्रीमति ऊषमा चौहान**	**01-04-21 से 22-03-22**
2.	**श्रीमति नीशा शर्मा**	**29-03-22 से 31-03-23**

(ii) सचिव :-

क्रम संख्या	पदाधिकारियों के नाम	अवधि
1.	**श्री जगन ठाकुर, उपमंडल अधिकारी (ना०)**	**01-11-20 से 25-03-21**
2.	**श्री आदित्तय चौहान**	**26-04-21 से 31-03-23**

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण :-

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	(₹) लाखों में
1	अनुदानों का उपयोग न करना	7 (2)	240.75
2	अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	7 (3)	281.52
3	घर-घर कूड़ा-कचरा की कम वसूली करना	9	13.56

4	निर्माण कार्यों पर अनियमित भुगतान करना	11 (क)	1.67
5	मोबाईल टॉयलेट क्रय करने पर अनियमित भुगतान करने बारे	14	18.66

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत शाहपुर के लेखों अवधि 01/11/2020 से 31/03/2023 का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण कार्य श्री केवल सिंह, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनाँक 08-06-2023 से 22-07-2023 तक नगर पंचायत शाहपुर के कार्यालय में निष्पादित किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखों की विस्तृत पड़ताल हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2021-22	04/21	08/21
2022-23	02/23	11/22

अस्वीकरण:- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव , नगर पंचायत शाहपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई हैं, के लिए हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं है। अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत पड़ताल हेतु चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर पंचायत के अवधि 01/11/20 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹25000 /- आँका गया। उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु सचिव, नगर पंचायत शाहपुर से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 63 दिनाँक 19-07-2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में नगर पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 458840 दिनाँक:17-08-2023 माध्यम से उक्त राशि को निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 (क) वित्तीय स्थिति:-

नगर पंचायत के अवधि 01/11/20 से 31/03/23 के विभिन्न निधि लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट –"1"** पर दिया गया है:-

Consolidated Financial Position of Nagar Panchyat Shahpur Distt. Kangra as on 31-03-23

Year	Name of Head	Opening Balance (₹)	Receipt During the Year (₹)	Intrest Received (Saving+FDR) (₹)	Total (₹)	Expenditure (₹)	Clossing Balance (₹)
2020-21	Own Sources	0.00	1082712	0.00	1082712.0	0.00	1082712.0
	Grant- in-Aid	0.00	17359570	0.00	17359570.0	0.00	17359570.0
	Total	0.00	18442282	0.00	18442282.0	0.00	18442282.0
2021-22	Own Sources	1082712	1599486	735428.01	3417626.01	141771.90	3275854.11
	Grant -in –Aid	17359570	20076649	0.00	37436219.0	12752363.00	24683856.00
	Total	18442282	21676135	735428.01	40853845.01	12894134.90	27959710.11
2022-23	Own Sources	3275854.11	1603649	1088513	5968016.11	2117052.50	3850963.61
	Grant -in -Aid	24683856.00	28703274	0.00	53387130.0	29312100.0	24075030.0
	Total	27959710.11	30306923	1088513	59355146.11	31429152.50	27925993.61

Total as per General Cash Book as on 31.03.2023 27925993.61

Total as per Bank Accounts as on 31.03.2023. (Detail Given Below) 28144794.61

Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2023 218801.00

<u>Detail of Bank Accounts as on 31.03.2023</u> 28144794.61

Sr.no.	Bank Account	Bank Name	Amount
1	50068374261	KCB Shahpur	2441858.00
2	50100487452231	HDFC Draman	4769813.00
3	6616101001174	Canara Bank Shahpur	564804.00
4	50100451368635	HDFC Draman	273672.00

5 50100420632227	**HDFC Draman**	**1586924.30**
6 50100487452409	**HDFC Draman**	**1386579.00**
7 50100413140964	**HDFC Draman**	**63879.30**
8 50100378126238	**HDFC Draman**	**72076.30**
9 50100456052336	**HDFC Draman**	**16740329.70**
10 65170272103	**SBI Shahpur**	**89405.70**
11 50100449943281	**HDFC Draman**	**155453.31**
(Still Security amount)		
	Total: -	**28144794.61**

<u>Bank Reconciliation Statement</u>

Balance as per Cash Book as on 31-03-2023 **27925993.61**

Add:-

A) Interest given by bank, but not entered in CB as on 31-03-2023

50100451368635	**HDFC Draman**	**2455.00**
50100420632227	**HDFC Draman**	**11653.00**
50100487452409	**HDFC Draman**	**10182.00**
50100413140964	**HDFC Draman**	**469.00**
50100378126238	**HDFC Draman**	**529.00**
50100456052336	**HDFC Draman**	**123145.00**
50100487452231	**HDFC Draman**	**70368.00**
	Total	**218801.00**
	G.Total: -	**28144794.61**
Difference		**Nil**

Note: A Security bank account no. 50100449943281 maintained by HDFC Bank, which is still showing the amount of Rs. 154669.31 entered in cash book up to 01-04-2022 (After adding the interest, thereafter this account was separated from cash book, being a liability and balance remained on dated 31-03-2023 Rs. 155453.31

(ख) तुलन पत्र (Balance Sheet) तैयार न करना व दोहरी लेखा पद्धति को लागू न करने के कारण लेखों का सत्यापन न कर पाना

निदेशक , शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र सं. UD –H(C)-15-49/2003-III 3332-3379 Dt. 25.03.2009, UD –H(C)-15-49/2003-III 9337-9385 Dt. 07.09.2009, और पत्र सं. UD–H(C)-15-49/2003-IV 5215-63 Dt. 19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर

पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से रख-रखाव किया जाए किन्तु वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लेखा खातों को नगर पंचायत शाहपुर द्वारा उक्त आधार पर तैयार नही किया गया था इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि 2021-23 हेतु तलपट (Trial Balance) व तुलन पत्र (Balance Sheet) के आधार पर भी लेखा खाते तैयार नहीं किये गये थे जिस कारण संस्था के लेखा खातों का तलपट (Trial Balance) व तुलन पत्र (Balance Sheet) के आधार पर सत्यापन नहीं किया जा सका। अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत शाहपुर द्वारा अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था जिसका सत्यापन अंकेक्षण के दौरान कर लिए गया है, अत: निदेशक , शहरी विकास विभाग हि.प्र. के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखापद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर अनुरक्षण करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के आधार पर बनाया जाना तुरंत सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) बैंक खातों के रख-रखाव बारे :-

नगर पंचायत द्वारा अवधि 1-11-2020 से 31-3-2023 के दौरान पंचायत निधि के आठ बचत खाते निजी बैंक HDFC में खोल कर ₹2504872 .91 /- राशि जमा की गई थी , जोकि वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन –आई ०एफ ०(ए)1-68/91 दिनांक 17.04.14 में वर्णित अनुदेशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि उक्त निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थानों की अतिरिक्त राशि सहकारी बैंकों मे निवेशित की जानी अपेक्षित है। अत: नगर पंचायत निधि की राशि को निजी बैकों में रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा उक्त वर्णित निर्देशों के अनुसार सहकारी बैंकों की नजदीकी शाखा में नगर पंचायत निधि को निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त निदेशक , शहरी विकास हि.प्र. के पत्र संख्या यू.डी.- एच (बी)(15)-2/91-III दिनांक 2/2013 द्वारा नगर पंचायतों को उन की राशि राज्य सरकार के सहकारी बैंकों मे जमा रखने के लिए निर्देश जारी किए गए थे । परन्तु नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त निर्देशों पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया परन्तु नगर पंचायत द्वारा अधिकतम राशि को सहकारी बैको में न रख कर निजी / राष्ट्रीयकृत बैंकों मे रखा जा रहा है । उपरोक्त दिशा निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में नगर पंचायत निधि को सहकारी बैंकों मे रखना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) पैंशन व उपदान निधि :-

नगर पंचायत शाहपुर के पैंशन व उपदान निधि की अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक की वित्तीय स्थिती निम्नलिखित है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- "4"** में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथ शेष (₹)	जमा राशि (₹)	कुल जमा (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2020-21	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2021-22	**0**	**47348**	**47348**	**0**	**47348**

अन्त शेष का विवरण

रोकड़ बही में दिनांक 31-03-2023 को अंत शेष **₹47348**

बैंक में जमा शेष राशि बैंक खाता संख्या 50100456293633 (H.D.F.C.) में 31-03-23 को जमा राशि **₹47348**

नोट -: नगर पंचायत शाहपुर में दिनाँक 31-03-2023 तक कोई भी पैंशनर न होने के कारण पेंशन/जी .पी .एफ की कटौती नही की जा रही है ।

(ड.).सामान्य भविष्य निधि,पैंशन तथा उपदान निधि के लेखों का रख –रखाव नियमानुसार न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की आधिसूचना संख्या LSG-B-(1)-1/79 III दिनांक 25-04-2000 द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका कर्मचारी (पैंशन उपदान व सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2000 अधिसूचित किये गए हैं। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के कर्मचारियों को पैंशन लाभों की अदायगी के उदेश्य हेतु निदेशक द्वारा पैंशन एवं उपदान (Gratuty)निधि की स्थापना करने की साथ-2 इसका रख-रखाव भी किया जायेगा । इसके अतिरिक्त इस नियम की उप नियम (3) में यह भी प्रावधान किया गया है कि नगर पालिकाओं की समय वेतनमान की अधिकतम पर क्रमश: 12% व 5%की दर से पैंशन व उपदान का माह वार अभिदान उक्त पैंशन एवं उपदान निधि में जमा करवाएगी। उक्त नियमों के नियम 9 में प्रावधान किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि स्थापना तथा लेखों का रख-रखाव भी निदेशक (शहरी विकास) द्वारा ही किया जाए गया। नगर पंचायत अंकेक्षण में पाया गया कि लेखों का रख-रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर पंचायत द्वारा ही किया जा रहा है जोकि उक्त नियमों के विपरीत है जिसे या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

5 नगर पंचायत के तीन वर्षों का आय –व्यय का विवरण

नगर पंचायत शाहपुर द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार संस्था के गत तीन वर्षों अर्थात 2020-21 से 2022-23 तक के आय व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	**स्व:-स्त्रोत से आय (₹)**	**अनुदान राशि (₹)**	**कुल व्यय (₹)**
2020-21	1082712	17359570	0
2021-22	1599486	20076649	12894134.90
2022-23	1603649	28703274	31429152.50

6 निवेश

अधिक्य (Surplus) निधि राशि को सावधि जमा में निवेश न करना

अंकेक्षण के दौरान पड़ताल में पाया गया कि दिनांक 31-03-23 को **परिशिष्ट -1** के अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ₹ 28144794.61 की राशि सामान्य रोकड़ बही के सम्बन्धित बैंक बचत खातों में शेष जमा थी , सचिव, नगर पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार किसी भी राशि का सावधि जमा में नि वेश नही किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है क्योंकि यदि उक्त जमा राशि में से नगर पंचायत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिक्य (Surplus) निधि को सावधि जमा में निवेश किया होता तो ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित की जा सकती थी। अत : परामर्श दिया जाता है कि कुशल वित्तीय प्रवंधन से अधिक्य निधि को सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय अर्जित की जा सके और नगर पंचायत के विकास कार्य भी प्रभावित न हो।

7 अनुदान

(1)वित्तीय स्थिति

नगर पंचायत शाहपुर द्वारा अंकेक्षण अवधि 11/2020 से 3/2023 तक से सम्बंधित अनुदान की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "2"** में दिया गया है :-

वित्तीय वर्ष	प्राम्भिक शेष (₹)	अनुदान प्राप्त (₹)	कुल राशि (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2020-21	0.00	17359570	17359570	0.00	17359570

2021-22	17359570	20076649	37436219	12752363	24683856
2022-23	24683856	28703274	53387130	29312100	24075030

(2) अनुदान की अनुपयुक्त ₹240.75 लाख का शेष :-

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट – "2"** पर अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान की राशि में से दिनाँक 31-3-2023 को ₹2,40,75,030 /- की अनुपयुक्त राशि शेष थी , जबकि अनुदानों से संबन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ निश्चित अवधि के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है ।इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे सचिव , नगर पंचायत शाहपुर को अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 49, दिनाँक 08-06-2023 व 67 दिनाँक 20-07-2023 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था । इस संबंध में सचिव , नगर पंचायत शाहपुर के द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं दिया गया। अतः अनुपयुक्त राशियों को समयबद्ध प्रयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इन अनुपयुक्त राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्ही उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिन उद्देश्यों हेतु यह प्राप्त की गयी थी अन्यथा मामले में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(3) अनुदानों से व्यय ₹281.52 लाख के उपोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "3"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से ₹2,81,51,863 /-का व्यय दर्शाया गया था लेकिन दिनाँक 31-03-2023 तक अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में अनुदानों के उपयोग का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव नहीं हो सका। उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव नगर पंचायत शाहपुर को अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 49, दिनाँक 08-06-2023 व 67 दिनाँक 20-07-2023 द्वारा पुनः इस बारे आपत्ति बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था । इस संबंध में सचिव नगर पंचायत शाहपुर के द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण के समाप्ति तक नहीं दिया गया। अतः वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सत्यापन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करना तथा अन्य सरकारी अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8. 1 गृह कर, दुकानों का किराया व तह बाजारी से प्राप्त आय की वसूली न करना

नगर पंचायत की आय का मुख्य साधन गृहकर , दुकानों का किराया व तह बाजारी है,जिससे प्राप्त आय को वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन नगर पंचायत द्वारा दिनाँक 31/03/2023 तक कोई भी राशि गृहकर ,दुकानों का किराया व तह बाजारी के रूप में वसूल नही की गई थी, जोकि एक अति गंभीर अनियमितता है । उक्त आय की वसूली न करने के विषय पर सचिव , नगर पंचायत शाहपुर को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-57, दिनाँक 10-07-2023 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इस सम्बन्ध में सचिव , नगर पंचायत शाहपुर के द्वारा पत्र संख्या :न .प.का./2023 -460 दिनाँक 21-07-23 के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि नगर पंचायत शाहपुर का गठन दिनांक 11/2020 में हुआ था , जिस कारण प्रथम दो वर्षों के लिए नगर पंचायत में सभी करों में छूट का प्रावधान था परन्तु इस सबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें दो वर्षों तक छूट प्रदान की गई थी , को अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया । अतः संस्था द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक प्रतीत नही होता है। अत : गृहकर, दुकानों का किराया व तह बाजारी की वसूली न करने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त वसूली शीघ्रातिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8.2 मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस की वसूली न करना

नगर पंचायत क्षेत्र में कितने मोबाईल टावर स्थापित किये गए हैं व उनसे कितनी नवीनीकरण शुल्क एकत्रित की जानी है , से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया । जिससे दिनाँक 31/03/2023 को विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फ़ीस के रूप में कितनी राशि वसूली जानी अपेक्षित थी, नगर पंचायत द्वारा उसकी वसूली नही की गई है जोकि एक अति गंभीर अनियमितता है , उक्त आय की वसूली न करने पर ; सचिव , नगर पंचायत शाहपुर को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-59, दिनाँक 18-07-2023 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इस सम्बन्ध में सचिव , नगर पंचायत शाहपुर के द्वारा पत्र संख्या :न .प.का./2023 -456 दिनांक 21-07-23 दिया गया प्रतिउत्तर कि "नगर पंचायत शाहपुर के क्षेत्र में कोई भी मोबाईल टाबर स्थापित नही किया गया है", उचित प्रतीत नही होता है। अत : मोबाईल टावरों की स्थापना बारे गत

पंचायत के सचिव से जानकारी एकत्रित करके वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9 घर-घर से कूड़ा- करकट की बकाया राशि ₹13.56 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर पंचायत की आय का मुख्य साधन घर-घर से कूड़ा करकट (User charges) भी है, जिससे प्राप्त आय, को वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अतः इसकी नियमित तौर पर वसूली की जानी जरूरी है। नगर पंचायत शाहपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार प्रस्ताव संख्या 53/2021, दिनाँक 24.08.21 द्वारा दरें निर्धारित की गई थी। परन्तु दिनांक 31.03.2023 तक घर-घर से कूड़ा करकट के रूप में ₹13,55,550/-की राशि वसूली हेतु शेष थी। इसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "5"** में भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा कूड़ा-करकट संग्रह दस्तावेज भी पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है :-

Period	Opening Balance (₹)	Demand (₹)	Total (₹)	Collection (₹)	Closing Balance (₹)
01/22 to 03/22	0	392150	392150	127450	264700
04/22 to 03/23	264700	1794600	2059300	703750	1355550

इस राशि के वसूल न करने बारे सचिव , नगर पंचायत शाहपुर को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-58 दिनाँक 10 -07-2023 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इस संबंध में सचिव , नगर पंचायत शाहपुर के पत्र संख्या 457, दिनाँक 21-0 7-23 द्वारा दिया गया प्रतिउत्तर कि "अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत है, उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है ।अत : घर-घर से कूड़ा- करकट की नियमित तौर पर वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10 विवाह शुल्क ₹0.02 लाख की कम वसूली करने बारे :-

सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग , हिमाचल प्रदेश की आधिसूचना संख्या SJE-A-(3)-1/2015 दिनाँक 04-10-2016 के अनुसार प्रत्येक विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200(सामान्य)व IRDP/BPL के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिन के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400(सामान्य) से व ₹50 IRDP/BPL से प्रति विवाह पंजीकरण वसूल कर के राजकीय कोष में जमा करवाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर की पड़ताल

उपरान्त पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹1800 कम वसूल किये गये है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः नगर पंचायत कार्यालय द्वारा आन्तरिक स्तर पर छानबीन उपरान्त इस राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाये तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र० स०	**विवाह की तिथि**	**नाम**	**विवाह पंजीकरण तिथि**	**वसूली गई राशि (₹)**	**वसूली योग्य राशि(₹)**	**कम वसूली राशि (₹)**
1	19-04-22	आशीष कुमार पुत्र श्री सुनील w-3	10-6-22	200	400	200
2	10-05-22	मदन लाल पुत्र लहरू राम शाहपुर	20-7-22	200	400	200
3	21-01-22	केशव महाजन पुत्र कपिल महाजन w-2	6-8-22	200	400	200
4	19-02-65	मंगत राम पुत्र खयाली राम शाहपुर	5-9-22	200	400	200
5	30-5-21	विकास वलौरिया पुत्र राजिंदर सिंह w-4	6-10-22	200	400	200
6	9-12-22	संजीव कुमार पुत्र चिपलू राम शाहपुर	21-1-23	200	400	200
7	13-12-84	जोगिन्दर कुमार पुत्र राजमल w-7	13-3-23	200	400	200
8	9-2-23	दिनेश कुमार पुत्र प्रित्तम चंद शाहपुर	24-3-23	200	400	200
9	17-2-23	सुशांत पुत्र राम मुरारी शाहपुर	28-3-23	200	400	200
		कुल योग		**₹1800**	**₹3600**	**₹1800**

इस राशि के वसूली न करने बारे सचिव, नगर पंचायत शाहपुर, को अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 56 दिनाँक 06 -0 7-2023 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इस संबंध में

सचिव, नगर पंचायत शाहपुर के पत्र संख्या 458, दिनाँक 21-07-23 द्वारा दिया गया प्रतिउत्तर कि कम ₹1800 की पुन : वसूली कर ली है। अत : कम वसूली गई ₹1800 की रसीद संख्या 83/2 से 92/2, दिनांक 15-06-2023 द्वारा वसूल कर ली है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली है ।

11. निर्माण कार्य

(क) निर्माण कार्यों के प्रस्ताव पारित किये बिना ₹1.67 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे

हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या –एस.एल.जी.-(ए)(3)-2/96 –II के अनुसार हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1994 की धारा 34 के साथ पठित धारा 279 के अंतर्गत धारा 32 में सचिव , हिमाचल प्रदेश नगर पालिका संकर्म नियमों (वर्क्स रूल्स) के अधीन यथा अपेक्षित बजट उपबन्धों और उन पर प्रशासनिक अनुमोदन के अध्यधीन ₹10,000 तक के समस्त प्राक्कलन नगर पंचायत के बिना निदेश के सचिव द्वारा पारित किये जाएंगे। किसी भी संकर्म के लिए प्राक्कलनों को विभाजित नही किया जाएगा। अंकेक्षण के दौरान चयनित माह की पड़ताल उपरांत पाया गया नगर पंचायत शाहपुर द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्यों ₹1,67,355 का भुगतान सविंदाकारों को नगर पंचायत के निदेश के बिना ही पारित कर दिया गया, जोकि अनुचित था जिसके अभाव में निर्माण कार्यों में निष्पादित मंद व उन की प्रमात्रा एवं दरों के भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नही की जा सकी।

क्रम सं	कार्य का नाम	सविंदाकार का नाम	अबार्ड पत्र संख्या	माप पुस्तिका पृष्ठ सं.	सकल बिल राशि (₹)
1	C/O path from kiyari bridge toward G.P.S. phdiar w no-3	Vinya Construction Co.	206/22-7-21	01 Page-72	84113
2	C/O path from ain road to Guleria house w no-5	Manjeet Singh	201/22-7-21	01 Page-5	83242
				Total	₹167355

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66 दिनाँक 20-07-2023 स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। सचिव, नगर पंचायत के पत्र संख्या न.प.का./2023-464, दिनाँक 21-7-2023 द्वारा दिया गया प्रतिउत्तर कि नगर पंचायत द्वारा उक्त कार्यों को जनहित में सुविधा प्रदान करने हेतु व कार्यों की अति आवश्यकता होने के कारण करवा लिया गया था, उचित प्रतीत नही होता है । अत: नगर पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किये बिना किया गया भुगतान अनियमित है जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई सामग्री बिलों में से रॉयल्टी की ₹0.28 लाख कटौती न करना

चयनित माहों में निर्माण कार्यों के व्यय वॉउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत माप पुस्तिकयों में दर्ज की गई प्रविष्टि यों से निम्न विवर णानुसार हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल (क्न्सेस्न) नियम 1971 का निरसन कर हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल (क्न्सेस्न)एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन आफ इललीगल माइनिंग, ट्रांसपोटेर्शन एवं स्टोरेज) नियम 2015 के अनुसार ₹80 प्रति मीट्रिक टन की दर से निर्माण कार्यों में उपभोग की गई व क्रय की गई सामग्री से रॉयल्टी राशि ₹27760 (₹13440 +₹14320) की कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार ठेकेदारों के निर्माण कार्यों बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करके अनुचित लाभ पहुंचाया गया । जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

क्रम स०	आपूर्ति कर्ता	वॉ०स० /दिनांक/विल स०	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा (मी० टन)	रॉयल्टी प्रति मी०टन	राशि (₹)
1	मै०पंकज ठेकेदार वसनुर	553/2-11-22	पत्थर (गोला)	-	75	2.24	168	80	13440
2	मै० जे. वी. एम.झुलार तहसील शाहपुर	456-459 /10-10-22,12-10-22,14-10-22,16-10-22	पत्थर (गोला)	-	80	2.24	179	80	14320
								कुल योग	**₹27760**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 62 दिनाँक 19-07-2023 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। सचिव, नगर पंचायत शाहपुर के पत्र संख्या न.प.का./2023 -462, दिनाँक 21-07-23 द्वारा दिया गया प्रतिउत्तर कि रॉयल्टी के रूप में मुबलिग ₹27760 की कटौती भविष्य में समायोजित / वसूल करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा। अत: नगर पंचायत कार्यालय द्वारा आंतरिक स्तर पर छानबीन उपरांत इस ₹27760 की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

(ग) सहायक अभियंता के परीक्षण जाँच (Test Check) के बिना सविंदाकारों को भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की नियमावली (Account Mannual) के पैरा संख्या 10.9 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सहायक अभियंता द्वारा माप पुस्तिकाओं में दिए गए प्रावधान में माप पुस्तिकाओं की कम से कम 50 % परीक्षण जाँच की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान चयनित माह की पड़ताल उपरांत पाया गया नगर पंचायत शाहपुर के निम्नलिखित निर्माण कार्यों का भुगतान सहायक अभियंता द्वारा माप पुस्तिका पर बिना परीक्षण जाँच के किये गए जोकि अनुचित था जिसके अभाव में निर्माण कार्यों में निष्पादित मंद व उन की प्रमात्रा एवं दरों के भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नही की जा सकी ।

क्रम सं	**कार्य का विवरण**	**सविंदाकार का नाम**	**माप पुस्तिका पृष्ठ सं०**	**सकल बिल राशि (₹)**
1	Restoration of rain damage near Rajinder house w .no-5 Shahpur	Ganderv Singh	02 page-78	178068
2	P/L path nearRaju house to Madan house w .no-04	Manjeet Singh	02 Page-74	282796
3	Restoration of rain damage near Bablu house w .no-4 Shahpur	Manjeet Singh	02 Page-79	284290
4	P/Lpath from Shastri house to Manjeet house w no-06	Pankaj Naryal	02 Page-77	88663

5	P/L cc Paver path near Kewal house to shyam house w .no-06	Pankaj Naryal	02 Page-75	74397
6	P/L cc Paver path near Asriculture Farm road w .no-03 Shahpur	Manjeet Sigh	02 Page-83	296311
7	P/L cc Paver path near Gopl house to jia Lal house w no-6 Shahpur	Pankaj Naryal	02 Page-86	120953
8	P/L cc Paver path near Komal house w no-6 Shahpur	Pankaj Naryal	02 Page-85	299501
9	Restoration of rain damage near PWD from Vijay house Nallah w .no-3 Shahpur	Harbansh Lal	02 Page-82	191791
10	P/L cc Paver path near Subhash house w no-4	Asish Singh	02 Page-81	107830
11	C/O path from Balla Tiala to Desh Raj house w no-2	Anil Kumar	02 Page-92	218370
12	Protection wall from Rattan to Suresh house near Bandal Khad w no -5	Anil Kumar	02 Page-91	249992

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66 दिनाँक 20-07-2023 स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। परन्तु सचिव, नगर पंचायत द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। यह एक अत्यंत गंभीर चूक है । अत: नगर पंचायत कार्यालय द्वारा अपने स्तर पर प रीक्षण जाँच करवाई जानी सुनिश्चित की जाए एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी भी न दोहराई जानी सुनिश्चित की जाए।

(घ) कर्मचारी अंशदान निधि (EPF) को जमा करवाए बिना सविंदाकार को भुगतान बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पड़ताल उपरांत पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों के अवार्ड पत्रों की शर्त 20 अनुसार ठेकेदार को भुगतान करने से पूर्व ठेकेदार द्वारा कर्मचारी अंशदान निधि को जमा किया जाना अनिवार्य था जिसके बिना नगर पंचायत द्वारा भुगतान नहीं किया जा सकता था। जबकि जिस निर्माण कार्यों के लिए सविंदाकार द्वारा कर्मचारी अंशदान निधि को जमा किये बिना संविदाकार को भुगतान किया गाया जोकि अनियमित था।

कार्य का नाम	अवार्ड पत्र सं	सविंदाकार का नाम	माप पुस्तिका पृष्ठ सं	कुल बिल राशि (₹)
Restoration of rain damage near Rajinder house w .no-5 Shahpur	1395/ 16-9-22	Gandery Singh	02 page-78	180168
P/L path nearRaju house to Madan house w .no-04	1442/ 1-10-22	Manjeet Singh	02 Page-74	282796
Restoration of rain damage near Bablu house w .no-4 Shahpur	1394/ 16-09-22	Manjeet Singh	02 Page-79	284290
P/L cc Paver path near Komal house w no-6 Shahpur	1466/7-10-22	Pankaj Naryal	02 Page-85	299501
Restoration of rain damage near PWD from Vijay house Nallah w .no-3 Shahpur	1391/16-10-22	Harbansh Lal	02 Page-82	191791
C/O path from Balla Tiala to Desh Raj house w no-2	1523/12-10-22	Anil Kumar	02 Page-92	218370
Protection wall from	1262/26-8-	Anil Kumar	02	249992

Rattan to Suresh house near Bandal Khad w no - 5	21		Page-91	
P/L cc Paver path near Asriculture Farm road w .no-03 Shahpur	1463/7-10-22	Manjeet Singh	02 Page-83	296311

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66 दिनाँक 20-07-2023 स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। परन्तु सचिव, नगर पंचायत के पत्र संख्या न.प.का./2023-464, दिनाँक 21-7-2023 कि नगर पंचायत द्वारा सभी पंजीकृत ठेकेदारों से ई.पी.एफ.प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, उचित प्रतीत नही होता है । अत: नगर पंचायत सभी पंजीकृत ठेकेदारों से ई.पी.एफ.प्रमाण पत्र व कर्मचारी अंशदान निधि को जमा किये जाने से सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त करके अंकेक्षण में दिखाए जाने सुनिश्चित किये जाए एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जायें व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए ।

(ड.) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित सविंदाकारों को अग्रिम भुगतान ₹8 लाख का समयोजन न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की पड़ताल उपरांत पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों को अग्रिम ₹8,00,000 का भुगतान किया गया था परन्तु अग्रिम भुगतान के समायोजन से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख(अग्रिम रजिस्टर व समयोजन वॉउचर) पड़ताल हेतु प्रस्तुत नही किये गए जिससे यह प्रतीत होता है कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचने के लिए अग्रिम भुगतान किया गया , जोकि अनियमित व अनुचित है ।

क्रम सं.	**वा० सं./दिनांक**	**कार्य का नाम**	**सविंदाकार का नाम**	**रो. बही पृष्ठ सं.**	**शीर्ष**	**अग्रिम राशि (₹)**
1	3/7-10-21	C/O path from Smt Lata house shahpur	Asish Singh	40	**SFC**	**1,00,000**
2	4/7-10-21	C/O path from Sh Satish Sharma house shahpur	Manjeet Singh	40	**SFC**	**1,00,000**
3	5/7-10-21	C/O path from Sh Kapil Mahajn house	Bhupinder Singh	40	**SFC**	**1,00,000**

		shahpur				
4	6/7-10-21	C/O path from Sh Karam Chand house shahpur	Parvesh Kumar	40	**SFC**	**1,00,000**
5	7/7-10-21	C/O path from Sh Ashok Kumar house shahpur	Vivey Constructioion	40	**SFC**	**1,00,000**
6	8/7-10-21	C/O path from Sh Shambu house shahpur	Parvesh Kumar	40	**SFC**	**1,00,000**
7	9/7-10-21	C/O path from Sh Kapil Mahajn house shahpur	Anil Kumar	40	**SFC**	**1,00,000**
8	10/7-10-21	C/O path from Hand pump shahpur	Manjeet Singh	40	**SFC**	**1,00,000**
				Total		**₹8,00,000**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 49 दिनांक 08-06-2023 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। परन्तु सचिव, नगर पंचायत शाहपुर द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अत: इसका शीघ्रउत्तर दिया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उक्त अग्रिम भुगतान के बिल/वॉउचर व अन्य अभिलेख अंकेक्षण में दिखाये जाने सुनिश्चित किये जाए। अन्यथा अनियमित अग्रिम भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जायें व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए।

12 नगर पंचायत शाहपुर द्वारा MMSGAY के अन्तर्गत ₹1.70 लाख के भुगतान करने बारे।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह की पड़ताल उपरांत पाया गया नगर पंचायत शाहपुर द्वारा वाउचर संख्या 37 , दिनाँक 11-11-22 को मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत ₹1,70,100 (486 man days@350) का भुगतान किया गया है, जिसमें निम्न अनियमितता पाई गई।

1. निदेशक, शहरी विकास विभाग शिमला-02 के पत्र संख्या –यूडी-एच(एफ)Misc-MMSGAY. II ... 6701-6754 दिनाँक 01-04-2022 की अनुपालना में उक्त योजना के खंड -7 के अनुसार

सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता द्वारा मजदूरी पर लगाये गए मजदूरों का दैनिक रिकॉर्ड रखना व पोर्टल पर अपलोड किया जाना अपेक्षित था जोकि अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया।

2. MMSGAY योजना के अंतर्गत Self Works की योजना तैयार करके हाउस से स्वीकृत करवाया जाना अपेक्षित था व उसकी सूचना निदेशक , शहरी विकास विभाग शिमला -09 को दिनाँक 20-04-2022 तक दी जानी थी, से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया ।

3. योजना के अंतर्गत वर्क्स का रजिस्टर, दैनिक उपस्थिति रजिस्टर व सभी वर्क्स की माप पुस्तिका में भी प्रविष्टि की जानी थी, जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई।

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 61 दिनाँक 19-07-2023 व 67 दिनाँक 20-07-2023 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया लेकिन सचिव, नगर पंचायत द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता करता अत: इसका शीघ्रउत्तर दिया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उक्त अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए।

13 मैसर्ज शिवा इंटरप्राइजेज गग्गल को ₹0.28 लाख का अधिक भुगतान करने बारे।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/21 के वाउचरों की पड़ताल उपरांत पाया गया नगर पंचायत शाहपुर द्वारा वॉउचर संख्या 34 , दिनाँक 12-8-21 को मैसर्ज शिवा इंटरप्राइजेज गग्गल को उनके बिल संख्या 606 दिनांक 30-7-21 द्वारा ₹70000 का भुगतान A.C व वाटर कूलर क्रय करने हेतु किया गया है जिसमें निम्न अनियमितता पाई गई है ।

1. नगर पंचायत द्वारा औपचारिकताएँ पूर्ण करने उपरांत आपूर्ति आदेश संख्या -225 दिनांक 30-7-21 द्वारा मैसर्ज शिवा इंटरप्राइजेज गग्गल को 1 No loyad A.C 1.5 Ton ₹ 42,000 /- की आपूर्ति करने हेतु किये गए थे। मैसर्ज शिवा इंटरप्राइजेज गग्गल के बिल की पड़ताल उपरांत पाया गया कि बिल ₹70,000 /-(1 No A.C.@ ₹42,000 + 1 No water cooler@ ₹28,000) का भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया जबकि पंचायत द्वारा 1 No water cooler क्रय करने बारे कोई भी औपचारिकताएँ पूर्ण नही की गई और न ही कोई आपूर्ति आदेश आपूर्तिकर्ता को दिया गया था। अत: बिना औपचारिकताएँ पूर्ण किये गए भुगतान ₹28,000 को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टि भी अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64 दिनाँक 20-07-2023 स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। सचिव, नगर पंचायत के पत्र संख्या न.प.का./2023-455 ,दिनांक 21-7-2023 द्वारा दिया गया प्रतिउत्तर कि नगर पंचायत ने दिनाँक 12-6-21 को एक वाटर कूलर व एक एयर कूलर खरीद किया गया था ,जिसकी अदायगी संयुक्त रूप से एक ही वॉउचर द्वारा कर दी गई थी, जबकि दोनों खरीदों के आपूर्ति आदेश व औपचारिकताएँ अलग-अलग हैं, उचित प्रतीत नही होता है । अत: नगर पंचायत ने अंकेक्षण के दौरान 1 No water cooler क्रय करने बारे कोई भी औपचारिकताएँ पड़ताल हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नही की गई जोकि अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जायें व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए ।

14 मोबाईल टॉयलेट क्रय करने पर ₹18.66 /- लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/21 के वॉउचरों की पड़ताल उपरांत पाया गया नगर पंचायत शाहपुर द्वारा वाउचर संख्या 36 ,दिनांक 1-8-21 को मैoकैलाश डिस्ट्रिक्ट को - ऑपरेटिव मार्केटिंग एवं कन्जूमर फेडरेशन लिमिटिड दी माल, शिमला को उनके प्रोफार्मा चालान संख्या 971-72 दिनाँक 1-8-21 द्वारा ₹1866050 का भुगतान 2 No मोबाईल टॉयलेट (4 शीटर) व 1 No (6 शीटर) क्रय करने हेतु किया गया है जिसमें निम्न अनियमितता पाई गई हैं जिनका यथा शीघ्र निपटारा करके लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

1. नगर पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 11/21 प्रोफार्मा चालान संख्या -971-72 , दिनाँक 1-8-21 द्वारा क्रय किये गए 3 न o मोबाईल टॉयलेट जिनकी लागत चूँकि 1 लाख रु० से अधिक है । अत: हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विनियमन विभाग के पत्र संख्या –फिन (सी)ए (3) 5/2005 , दिनाँक 12-08-2009 में दिए गए नियम 102 व 103 के प्रावधाननुसार विज्ञापित /लिमिटिड टैंडर की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए था जोकि नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। अत: यह एक गम्भीर अनयमितता है।

2. निदेशक, शहरी विभाग शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या –UD(A)(3)-5/2007 दिनाँक 10-3-2010 धारा-2 (3) के अंतर्गत सदन को ₹5 लाख तक ही शक्तियाँ प्रावधित हैं व इससे अधिक क्रय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जानी अपेक्षित है, लेखा परीक्षा की समाप्ति तक स्वीकृति अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नही की गई ।

3. क्रय किये गए मोबाईल टॉयलेट की इंस्टालेशन रिपोर्ट (Installation Report) भी अंकेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं की गई।

4. क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टि भी अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई ।

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60 दिनाँक 18-07-2023 व 67 दिनाँक 20-07-2023 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया लेकिन सचिव, नगर पंचायत द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अत: इसका शीघ्रउत्तर दिया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उक्त अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व क्रय किये गए मोबा ईल टॉयलेट की इंस्टालेशन रिपोर्ट तथा स्टॉक रजिस्टर भी दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

15 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करवाना:-

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा सहिंता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में वर्णित प्रावधानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में स्टोर/स्टॉक मे पड़ी मंदों का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अभिलेख की पड़ताल मे पाया गया कि नगर पंचायत के स्टॉक मे पड़े सामान की वर्ष 20 20-21 से 202 2-23 तक प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गयी थी। जोकि वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में मंदों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अत: नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का वर्ष 20 20-21 से 202 2-23 तक भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलंब प्रत्यक्ष सत्यापना करके अनुपलना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य मे प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से भण्डार की वस्तुओं की प्रत्यक्ष सत्यापना कारवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

16 महत्वपूर्ण अभिलेख का रख-रखाव न करना

नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार अभिलेखों का उचित रख-रखा व नही किया गया था। विभिन्न अभिलेखों में आधी - अधूरी प्रविष्टियां की हुई थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या -119 दिनाँक 29-09-22 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अवगत करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अत: निम्नलिखित अभिलेखों का नियमानुसार उचित रख-रखाव एवं अद्यतन (Updation) सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

1.चिकित्सा बिल रजिस्टर

2.सविंदाकर बही

3.अग्रिम रजिस्टर

4.प्रतिभूति रजिस्टर

5.विज्ञापन रजिस्टर

6.यात्रा भत्ता रजिस्टर

17 लघु आपति विवरणी :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी - छोटी आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

18 निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार की बहुत आवश्यकता है।

हस्ता/–
(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0 –0177–2620881

पृष्ठांकन संख्या :– फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)(5)114/2023 खण्ड–4–8263.8264 दिनांक 12.10.2023, शिमला–09.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2. को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत :– 2 सचिव, नगर पंचायत शाहपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0 –0177–2620881